नदी को प्रदूषित होने से बचाने अब तक शासन ने क्या कदम उठाए हैं, जानकारी दें : हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: अरपा नदी के संरक्षण और अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव से शपथपत्र पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए शासन ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, यह जानकारी शपथपूर्वक दी जाए।

बिलासपुर नगर निगम ने कोर्ट को जानकारी दी कि अरपा को साफ-सुथरा रखने के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, उसे एमआइसी और सामान्य सभा में मंजूरी दे दी गई है। अब प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेजा गया है। कोर्ट ने महाधिवक्ता को निर्देश दिए कि शासन जल्द इस पर अमल सुनिश्चित करे।

● फाइल फोटो

अवैध खनन पर एफआइआर के निर्देश की संभावना

अरपा अर्पण महाअभियान समिति की ओर से अधिवक्ता अंकित पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट की एक मिसाल पेश की, जिसमें कहा गया कि स्थानीय पुलिस अवैध खनन करने वालों पर बिना अनुमति के एफआइआर दर्ज कर सकती है। इस पर कोर्ट ने शासन से कानून के इस प्रावधान की जांच कर उसे लागू करने पर विचार करने को कहा है।

कमेटी की रिपोर्ट अब तक लंबित

सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों की 6 सदस्यीय कमेटी इस मसले पर काम कर रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी तय करने को भी कहा है। कोर्ट ने सभी मामलों पर विस्तृत जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई की तारीख 8 मई तय की है।

तीन बालिकाओं की मौत पर भी हाई कोर्ट गंभीर

सुनवाई के दौरान अदालत को याद दिलाया गया कि पिछले वर्ष बारिश में खनन से बने गहरे गड्ढे में तीन बालिकाओं की डूबकर मौत हो चुकी है। अदालत ने इस घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए भी सुनवाई शुरू कर दी है।

शराब नहीं मिली तो